जयपुर के सेंट्रल पार्क से सीए का फिल्मी अंदाज में अपहरण

नकाबपोश बदमाशों ने नकली पिस्टल-चाकू की नोंक पर कार में बंधक बनाया, दिल्ली की तरफ लेकर भागे

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजधानी जयपुर में सेंट्रल पार्क की पार्किंग से शहर के जाने-माने चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) राजीव गुप्ता का दो नकाबपोश बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लिया। बदमाश नकली पिस्टल और चाकू की नोंक पर उन्हें उनकी ही मर्सिडीज कार में बैठाकर दिल्ली रोड की ओर ले गए। रास्ते में गुप्ता ने चलती कार से कूदकर बचने की तीन बार कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने हथियार दिखाकर उन्हें वापस खींच लिया। पीली की तलाई मोड के पास तेज रफ्तार मर्सिडीज एक बाइक से टकराकर सड़क किनारे नाले में पलट गई। हादसे के बाद दोनों बदमाश कार से निकलकर पास की पहाड़ियों की ओर भाग गए।

हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। कार में मौजूद सीए राजीव गुप्ता को लोगों ने पहले बदमाश समझ लिया और उन्हें घेर लिया। गुप्ता ने किसी तरह लोगों को बताया कि वे खुद अपहरण के शिकार हुए हैं। सूचना पर पहुंचे आमेर थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा ने उन्हें भीड़ से बचाकर सुरक्षित थाने पहुंचाया। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त मर्सिडीज को नाले से बाहर निकलवाया। कार से नकली पिस्टल और चाकू बरामद किया गया है।

आमेर थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा के अनुसार राजीव गुप्ता रोजाना सुबह सेंट्रल पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। गुरुवार सुबह करीब 6.30 बजे वे पार्क पहुंचे थे। करीब एक घंटे बाद 7.30 बजे गेट नंबर-4 से बाहर निकलकर अपनी मर्सिडीज में बैठने लगे। जैसे ही उन्होंने कार का गेट खोला, एक नकाबपोश बदमाश नकली पिस्टल लेकर पीछे की सीट पर बैठ गया। इसी दौरान दूसरे बदमाश ने उन्हें ड्राइविंग सीट से धक्का दिया और चाकू की नोक पर खुद सीट संभाल ली। पीछे बैठे बदमाश ने गुप्ता पर पिस्टल तान दी। दोनों बदमाशों ने उन्हें धमकाया कि शोर मचाने या विरोध करने पर जान से मार देंगे। इसके बाद वे गुप्ता को धमकाते हुए कार को आमेर और फिर दिल्ली रोड की तरफ ले गए। बताया जा रहा है कि आरोपियों को मर्सिडीज चलाने का ज्यादा अनुभव नहीं था। वे रास्ते में कार के संचालन को लेकर गुप्ता से जानकारी लेते रहे। इस दौरान उनके साथ हाथापाई भी हुई।

- सीए ने चलती मर्सिडीज से 3 बार कूदने की कोशिश की, बदमाशों ने हथियार दिखाकर वापस खींचा
- आमेर में पीली की तलाई के पास बाइक से टकराकर कार नाले में गिरी तो बदमाश गाड़ी रोककर पहाड़ियों में फरार हुए
- अब पुलिस इस मामले की जांच के लिए सेंट्रल पार्क से आमेर तक के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी

तीन बार चलती कार से कूदने की कोशिश

बदमाशों के कब्जे में आने के बाद गुप्ता का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्हें अपनी जान खतरे में लग रही थी। इसी वजह से उन्होंने चलती कार से कूदकर बचने का प्रयास किया। उन्होंने करीब तीन बार कार से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पीछे बैठे बदमाश ने पिस्टल और चाकू की नोक पर उन्हें पकड़कर वापस खींच लिया।

दिल्ली रोड पर पीली की तलाई मोड के पास गुप्ता ने एक बार फिर जान बचाने का प्रयास किया। उन्होंने चलती कार का दरवाजा खोलकर पैर बाहर लटका दिए और जोर-जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे। इससे कार चला रहा बदमाश विचलित हो गया। इसी दौरान तेज रफ्तार मर्सिडीज आगे चल रही बाइक से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया। इसके बाद बेकाबू कार सड़क किनारे नाले में पलट गई।

हादसे के बाद पहाड़ियों में भागे बदमाश

कार के पलटते ही दोनों बदमाश खिड़की से बाहर निकले और पास की पहाड़ियों की ओर भाग गए। आसपास के लोगों ने उनका पीछा किया और मौके पर भीड़ जमा हो गई। कार में राजीव गुप्ता को देखकर लोगों ने उन्हें ही बदमाश समझ लिया और घेर लिया। गुप्ता ने लोगों को बताया कि उनका अपहरण किया गया था और वे जान बचाने के लिए कार से निकलने का प्रयास कर रहे थे।

सूचना पर आमेर थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा मौके पर पहुंचे और गुप्ता को भीड़ से बचाया। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें नकली पिस्टल और चाकू बरामद हुआ। हादसे में घायल बाइक सवार को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। क्षतिग्रस्त कार को क्रेन की मदद से नाले से बाहर निकलवाया गया।

अशोक नगर थाने में दर्ज हुई एफआईआर

आमेर थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा ने सीए से घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद बताया कि घटना की शुरुआत सेंट्रल पार्क क्षेत्र से हुई है, जो अशोक नगर थाना क्षेत्र में आता है। इसलिए गुप्ता को एफआईआर अशोक नगर थाने में दर्ज कराने के लिए कहा गया।

आमेर थाना पुलिस ने घटना के बाद आसपास के इलाके में नाकाबंदी भी करवाई। पुलिस के अनुसार कार में कुल तीन लोग थे-दो नकाबपोश बदमाश और सीए राजीव गुप्ता। दोनों आरोपियों की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष बताई जा रही है। गुप्ता ने पुलिस को बताया कि वे दोनों आरोपियों को पहचानते नहीं हैं और उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। गुप्ता की रिपोर्ट पर अशोक नगर थाने में अपहरण, जानलेवा हमला और मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

पार्क से आमेर तक सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

जयपुर साउथ एसीपी डॉ. पूनम ने बताया, सीए की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उनके द्वारा बताए गए घटनाक्रम के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। पार्क से लेकर आमेर तक के पूरे रास्ते के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अशोक नगर और आमेर थाना पुलिस की टीमें संयुक्त रूप से सेंट्रल पार्क से लेकर दिल्ली रोड और पीली की तलाई तक के पूरे रूट के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं।

दो शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, 51 बाइक बरामद

जयपुर। प्रताप नगर टीम ने दुपहिया वाहन चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 80 वाहन चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए 51 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। आरोपियों की पहचान शेर सिंह (26) निवासी मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर और कमलजीत उर्फ के.के. उर्फ कमल (33) निवासी मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर को पकड़ा है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व रंजीता शर्मा ने बताया कि दुपहिया वाहन चोरी की रोकथाम के लिए विशेष टीम गठित की गई। जहां टीम ने 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और वाहन चोरी के हॉटस्पॉट चिन्हित कर सादा कपड़ों में निगरानी की।

मुखबिर की सूचना पर कांस्टेबल केदारमल ने आरोपियों की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर द्रव्यवती नदी के पास चिनाव अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया।। पुलिस ने जांच के दौरान बाइक बरामद की और पूछताछ में 80 वारदातों का खुलासा हुआ।

केयर लीवर्स को नौकरियों और शैक्षिणक संस्थानों में एक फीसदी आरक्षण देने के आदेश

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 12 सप्ताह में नीति निर्धारण करने के आदेश दिए

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार को कहा है कि वह 18 साल की उम्र पूरी करने पर बाल गृह छोड़ने वाले वयस्कों यानि केयर लीवर्स को उनके वर्ग के अनुसार एक फीसदी आरक्षण का लाभ दे। अदालत ने इसके लिए 12 सप्ताह में एक नीति निर्धारण करने के लिए कहा है। इस नीति में सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, सरकारी नौकरी और आउटसोर्स संविदा वाली नौकरियों को शामिल किया जाए। अदालत ने कहा कि जब तक ऐसी नीति नहीं बन जाती, तब तक राज्य सरकार इन्हें पांच साल की उम्र में छूट और फीस में छूट देगी। इसके अलावा स्वरोजगार स्टार्टअप और घर के लिए पांच लाख रुपए तक की आर्थिक मदद या बिना ब्याज लोन देगी। जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश दीपक कुमार की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि आठ सप्ताह के भीतर केयर लीवर्स सचिवालय बनाया जाए। यह सचिवालय सिंगल विंडो शिकायत निवारण तंत्र के रूप में काम करेगा और वयस्क होने पर बाल गृह छोडने वाले हर व्यक्ति का एक केन्द्रीयकृत डिजिटल डेटाबेस रखेगा। अदालत ने कहा कि 18 साल होने से छह माह पहले संबंधित किशोर को आधार, पेन, जाति प्रमाण पत्र और आफ्टर केयर परिचय पत्र सहित अन्य जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाए।

इसके अलावा ऐसे किशोरों के लिए स्नातक स्तर तक निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। वहीं उच्च शिक्षा के लिए चार हजार रुपए और प्रोफेशनल कोर्स के लिए छह हजार रुपए मासिक स्कॉलरशिप व हॉस्टल के लिए केयर लीवर एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप फंड बनाया जाए। अदालत ने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य किशोर न्याय परिषद और मंडल स्तर पर किशोर न्याय आयोग का गठन किया जाए। यह ऐसे किशोरों के कल्याण और पुनर्वास से जुडे प्रकरण देखेगी। इसके साथ ही अदालत ने आदेश की कॉपी केन्द्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को भेजते हुए 22 नवंबर को पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

अदालत ने कहा कि केयर लीवर्स भारी चुनौती का सामना करते हैं। उनके पास रोजगार उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास आदि के लिए जरूरी दस्तावेज भी नहीं होते। इसके अलावा उनके पास पारिवारिक सुरक्षा का अभाव होता है। जिससे वे अलगाव से पीडित रहते हैं। यूनिसेफ के बीते दशक के अध्ययन से पता चलता है कि देश में तीन करोड़ बच्चे छोड़े हुए है और उनमें से पांच लाख आश्रय गृहों में रह रहे हैं। याचिकाकर्ता ने सवाई माधोपुर कोर्ट की ओर से उसे किशोर नहीं मानने के खिलाफ यह याचिका दायर की थी।

1000 कि.मी. पीछा कर दमन से एमडी तस्कर गिरफ्तार

रक्षाबंधन पर जयपुर में नशे की बड़ी खेप खपाने की थी साजिश

-कार्यालय संवाददाता -

जयपुर । राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे 'ऑपरेशन रानीरोना' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब एक हजार किलोमीटर दूर दमन से 25 हजार रुपए के इनामी एमडी तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी रामनिवास उर्फ रामू विश्नोई (32) नागौर क्षेत्र में एमडी (मेफेड्रोन) सप्लाई का मुख्य सरगना बताया गया है। यह एएनटीएफ की 93वीं बड़ी कार्रवाई है।

एएनटीएफ आईजी विकास कुमार ने बताया कि आरोपी रामनिवास निवासी जायल जिला जिला नागौर है। चूरू पुलिस ने उस पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।

पुलिस के अनुसार रामनिवास ने वर्ष 2011 में गांव से 12वीं पास करने के बाद मुंबई की कूरियर कंपनी में नौकरी की। हाईप्रोफाइल सोसायटियों के संपर्क में आने के बाद वह एमडी के नशे का आदी हुआ और फिर इसकी सप्लाई करने लगा।

वह मुंबई से करीब 8 लाख रुपए प्रति किलो में एमडी खरीदकर नागौर व आसपास के फिक्स ग्राहकों को करीब 10 लाख रुपए प्रति किलो तक बेचता था। महीने में दो चक्कर लगाकर उसे करीब 2 लाख रुपए प्रति किलो मुनाफा होता था।

तस्करी से कमाई रकम से उसने नागौर में बड़ा मकान बनवाया, लग्जरी कारें खरीदीं और पत्नी के लिए सोने-चांदी के आभूषण खरीदे। नागौर पुलिस ने एएनटीएफ के सहयोग से एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ के तहत उसके निर्माणाधीन अवैध मकान को ध्वस्त किया था। तस्करी में इस्तेमाल उसकी दो कारें भी जब्त/सीज की जा चुकी हैं।

पुलिस के अनुसार रामनिवास रक्षाबंधन पर जयपुर की नशा पार्टियों में खपाने के लिए भेजी जा रही एमडी की बड़ी खेप का मुख्य सूत्रधार था। 27 अगस्त 2026 को एएनटीएफ और पुलिस ने जायल के दुगौली गांव में नाकाबंदी कर कार को रोका। कार से आरोपी के साथी तस्कर का नाबालिग भतीजा पकड़ा गया और 5.400 किलो एमडी बरामद हुई। रामनिवास दूसरी कार से एमडी से भरी कार को एस्कॉर्ट कर रहा था। नाकाबंदी देखकर वह कार भगाकर फरार हो गया।

इस संबंध में थाना जायल में प्रकरण दर्ज किया गया। इससे पहले रतनगढ़ पुलिस ने आरोपी के स्थायी ग्राहक नरसीराम सहित चार लोगों को एमडी के साथ पकड़ा था। इसके बाद से रामनिवास फरार चल रहा था।

पुलिस से बचने के लिए रामनिवास नागौर के जंगलों में छिपा। इसके बाद जयपुर के मुहाना मंडी स्थित अर्बन ज्वैल्स के फ्लैट में करीब 10 महीने तक रहा। जायल नाकाबंदी से भागने के बाद वह मनाली, अंबाला और आगरा होते हुए 3 सितंबर 2026 को दमन पहुंचा और मामा के किराए के कमरे में छिपकर रहने लगा। एएनटीएफ टीम ने लगातार उसका पीछा किया और कई रातों के रेल सफर के बाद दमन पहुंची।

टीम ने तकनीकी जांच और मुखबिर तंत्र की मदद से उसके मामा के कमरे का पता लगाया और दबिश देकर रामनिवास को गिरफ्तार कर लिया। आईजी विकास कुमार ने बताया कि कार्रवाई को अंजाम देने वाली एएनटीएफ टीम को मुख्यालय में विशेष समारोह आयोजित कर सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाएगा।

NAME CHANGE

I have changed my name from Santosh Kabra to Santosh Devi Kabra for all purpose. R/o 14 Manwa Ji Ka Bagh Moti Doongri Road Jaipur.(Raj.)

खोया पाया

मेरी पुत्री अल्फीशा परवीन माता आसिया खातुन के शिक्षा के दस्तावेज में उक्त नाम में माता का नाम Asiya Khatoon दर्ज है यह ग़लत है सही नाम Ashiya Khatun है भविष्य में Ashiya Khatun नाम से जाना जावे। पता म.न. 127/98, व्यास कॉलोनी, शास्त्री नगर जयपुर

मेरी पुत्री अल्फीशा परवीन पिता Mumtaz Ahmad के शिक्षा के दस्तावेज में उक्त नाम में पिता का नाम Mumtaz Ahmad दर्ज है यह ग़लत है सही नाम Mumtaz Ahmed है भविष्य में Mumtaz Ahmed नाम से जाना जावे। पता म.न. 127/98, व्यास कॉलोनी, शास्त्री नगर जयपुर

मेरे भूखण्ड संख्या 109 रामचंद्र विहार योजना का मूल कब्ज़ा पत्र कही गुम हो गया है मिलने पर सम्पर्क करे। भैरू सिंह 8005738835

राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त- प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक: 3439 **जाहिर आम सूचना** दिनांक 21.08.2026
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/फ्लैट संख्या 171/56 (LIG) का आवंटन श्री अमर चन्द चौधरी पुत्र श्री भगवान सिंह चौधरी को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2677 दिनांक 29.09.2003 को जारी किया गया था। उनके पक्ष में पंजीयन पत्रों निष्पादन दिनांक 10.06.2009 को उप पंजीयक सांगानेर -प्रथम जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। श्री अमर चन्द चौधरी द्वारा उक्त आवास को श्री मनोज कुमार पुत्र श्री अमर चन्द को बख्शीशनामा कर इनके पक्ष में बख्शीशनामा पत्र दिनांक 05.06.2025 को उप पंजीयक अष्टम् जयपुर में पंजीकृत करवाया गया। श्री मनोज कुमार पुत्र श्री अमर चन्द द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास में अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही है, श्री मनोज कुमार पुत्र श्री अमर चन्द का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। **संपदा प्रबंधक, वृत्त प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर**

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-2655 दिनांक :- 31/07/26
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 28/KA/S-6 (एरिया 13.50 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री हनुमान खण्डेलवाल पुत्र श्री मदन लाल खण्डेलवाल को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 14654 दिनांक 12.02.2014 को जारी किया गया। श्री हनुमान खण्डेलवाल के पक्ष में उक्त व्यावसायिक भूखण्ड के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 20.03.2014 को उप पंजीयक-सांगानेर-द्वितीय, जयपुर के यहाँ पंजीकृत करवाये गये। श्री हनुमान खण्डेलवाल द्वारा उक्त व्यावसायिक भूखण्ड को दिनांक 23.03.2014 के द्वारा श्रीमती अनिता जैन पत्नी श्री अशोक जैन को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर-द्वितीय जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती अनिता जैन के आवेदन करने पर कार्यालय आदेश क्रमांक 784 दिनांक 08.05.2026 के द्वारा मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। श्रीमती अनिता जैन द्वारा उक्त व्यावसायिक भूखण्ड को दिनांक 08.06.2015 के द्वारा श्रीमती सीमा अग्रवाल पत्नी श्री तारा चन्द अग्रवाल को विक्रय कर उप पंजीयक-एकादश, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/केती श्रीमती सीमा अग्रवाल पत्नी श्री तारा चन्द अग्रवाल द्वारा आवासन मण्डल मे उक्त आवास में अपना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः उक्त व्यावसायिक भूखण्ड के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नही हैं, श्रीमती सीमा अग्रवाल पत्नी श्री तारा चन्द अग्रवाल का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। **सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा मण्डल, जयपुर**

राजस्थान आवासन मण्डल
वृत्त प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक : 353 **जाहिर आम-सूचना** दिनांक : 31.08.2026
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 50/235 (EWS), (एरिया 36.000 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्रीमती विदयावती माथुर पत्नी स्व. श्री घनश्याम दास माथुर को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 739 दिनांक 30.04.1992 को जारी किया गया। श्री ईश्वर दास देवयानी पुत्र श्री झामटमल के पक्ष में उक्त आवास का नियमितिकरण पत्र क्रमांक 864/1037 दिनांक 13.05.2013 के द्वारा किया गया। श्री ईश्वर दास देवयानी के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 26.06.2013 को उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री ईश्वर दास देवयानी द्वारा उक्त आवास को दिनांक 08.11.2017 के द्वारा श्री आदित्य कुमार टांक पुत्र श्री सीताराम टांक को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर-द्वितीय, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्री आदित्य कुमार टांक की मृत्यु दिनांक 26.02.2023 को हो जाने के कारण अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या-11 जयपुर महानगर-प्रथम मुख्यालय सांगानेर द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर इनकी पुत्री श्रीमती सुमन टांक पुत्री स्व. श्री आदित्य कुमार टांक पत्नी श्री विजय टांक द्वारा उक्त आवास को स्वयं के नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डलं रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही हैं, श्रीमती सुमन टांक पुत्री स्व. श्री आदित्य कुमार टांक पत्नी श्री विजय टांक का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

नम्बर मिलाइए
8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण श्री रमाशंकर पाण्डेय पुत्र कपिलदेव पाण्डेय, व श्रीमती गीता देवी पाण्डेय पत्नी रमाशंकर पाण्डेय निवासी 25, मणिरतन विहार कॉलोनी, नीयर गणपति फार्म हाउस के पास, जामडोली, आगरा रोड, जयपुर ने अपने पुत्र विभेश कुमार पाण्डेय, जो कि मेरे अभिभाष्यगण के कहने मे नही है तथा अतः अवांछित आचरणो से हैरान व परेशान होकर मेरे अभिभाष्यगण ने दिनांक 10-09-2026 से अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति व जीवन व्यवहार से बेदखल कर है । यदि कोई व्यक्ति इनसे किसी भी प्रकार का संव्यवहार करता है तो मेरे अभिभाष्यगण की कोई जिम्मेदारी नही होगी। सूचित रहे ।
जयपुर **(राजेश शर्मा) एडवोकेट**
दिनांक :- 10/09/2026 **मो.नं. 8619164277**

सार्वजनिक सूचना पुराना आमेर रोड, गंगा माता का मंदिर, मकान म्यूनिसिपल नंबर 611 वर्तमान मकान नं. 18, मोती कटला बाजार, चौकड़ी गंगापोल, जयपुर मेरे अभिभाष्य राजकुमार शर्मा एवं सुनीता देवी व उनकी संतानों की पैतृक सम्पत्ति है जिसके संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विवाद विचाराधीन हैं। उक्त सम्पत्ति में स्थित हुकुम सिंह की किरायेदारी की दुकान व अन्य किसी सम्पत्ति को बेचने व हस्तांतरित करने का अन्य किसी को अधिकार नहीं है। ऐसा कोई बेचान अथवा अन्तरण अवैध व शून्य होगा।
दिनांक-10/9/26 **अशोक देवानी, एडवोकेट**
मो. 9829064041

सूचना दिनांक : 10.09.2026
निम्न कर्मचारियों के विरूद्ध की जा रही जाँच कार्यवाही के दौरान उन्हें भेजे गये पत्र पोस्टमैन के असहयोगात्मक रुख अपनाते हुये विभिन्न रिमार्क के साथ संस्थान को वापस प्राप्त हो रहे हैं। तथा कुछ कर्मचारी पत्र प्राप्त कर लेने के बाद भी जाँच कार्यवाही में भाग नहीं ले रहे है न्यायहित में अन्तिम मौका दिये जाने के उद्देश्य से यह सूचना प्रकाशित की जा रही है। सभी निम्नलिखित आरोपित कर्मचारी निम्नलिखित दिनांक एवं समय पर स्थान - 312, III Floor, वैशाली टॉवर-1, नर्सरी सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर में मेरे समक्ष उपस्थित हों।
इस सूचना के प्रकाशन के बावजूद भी यदि आरोपित कर्मचारी निर्धारित समय पर जाँच में उपस्थित नहीं हुये तो उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी जावेगी।

नाम	दिनांक	समय
कैलास चन्द यादव	15.09.2026	दोपहर 1 बजे
नरेन्द्र कुमार डागर	15.09.2026	दोपहर 2 बजे
लक्ष्मीनारायण	15.09.2026	दोपहर 3 बजे
कमलकान्त	16.09.2026	दोपहर 1 बजे
विरधी शर्मा	16.09.2026	दोपहर 2 बजे
महेन्द्र कुमार	16.09.2026	दोपहर 3 बजे

राजीव शर्मा
जाँच अधिकारी लीड गार्ड सर्विसेज प्रा. लि., वैशाली नगर, जयपुर

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवासीय फ्लैट / यूनिट संख्या 92, प्रथम फ्लोर, विंग्टी टाइप, पीरूपुरम कल्याण विकास समिति, ए. डबल्यू.एच.ओ. कॉलोनी, अम्बाबाड़ी, सैक्टर-1, विद्याधर नगर, जयपुर राज. जिसका कुल क्षेत्रफल 700.13 वर्गफीट मय सकूटर गैराजए ग्राउण्ड फ्लोर कुल क्षेत्रफल 46.68 वर्गफीट, जो कि सर्वप्रथम श्री जगदीश चन्द्र पुत्र स्व. श्री पी.एल. शर्मा द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.05.2004 द्वारा आर्मी वैलफेयर हाउसिंग आर्गेनाईजेशन ए.डबल्यू.एच.ओ. जरिये मुख्तयारनामा प्रोजेक्ट मैनेजर ए. डबल्यू.एच.ओ. जयपुर लेफटिनेंट कर्नल के. किशोर पुत्र लेफटिनेंट कर्नल बी.एम. कृष्णा से क्रय किया गया था। उक्त फ्लैट श्री जगदीश चन्द्र को ए. डबल्यू.एच.ओ. सोसाइटी द्वारा दिसम्बर 1988 में आवंटित किया गया था। श्री जगदीश चन्द्र का स्वर्गवास दिनांक 02.02.2022 को हो गया, जिसके पश्चात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उनके विधिक उत्तराधिकारीगण श्रीमती मिनाक्षी शर्मा, श्री नीरज शर्मा एवं श्री दीपक शर्मा के हक में उक्त सम्पत्ति निहित हुई तथा श्रीमती मिनाक्षी शर्मा एवं श्री नीरज शर्मा ने अपने-अपने हिस्से का हक त्याग पत्र दिनांक 06.10.2022 के जरिये श्री दीपक शर्मा पुत्र स्व. श्री जगदीश चन्द्र शर्मा के हक में त्याग कर दिया। इस प्रकार श्री दीपक शर्मा उक्त फ्लैट/यूनिट के बिना किसी अन्य व्यक्ति के सीर व साझे के एकमात्र मालिक, सवामी व अधिकारी काबिज चला आ रहा है, उक्त फ्लैट के मूल आवंटन पत्र दिसम्बर 1988 व कब्जा पत्र दिनांक 14.6.1989 को जारी हुए थे, वो श्री दीपक शर्मा से गुम हो गये, जिसकी गुमशुदगी रिपोर्ट राजस्थान पुलिस में एल.आर. नंबर 3266596/2026 दिनांक 31.08.2026 को दर्ज करवाई गई है तथा दो स्थानीय अखबारों में खोया पाया में प्रकाशन भी करवा दिया गया है। अब श्री दीपक शर्मा उकत फ्लैट/यूनिट को श्री शुभम गोदारा पुत्र श्री ओम प्रकाश गोदारा को विक्रय करना चाहते हैं। इस बाबत यदि किसी व्यक्ति / संस्था को कोई एतराज/आपत्ति या उक्त मूल गुमशुदा दस्तावेज प्राप्त हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत / सूचित करे। मियाद गुजरने के बाद किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। **राकेश महर्षि (अधिवक्ता) (मो.) 9413902786**

कार्यान्वय प्राधिकृत अधिकारी जोन-22, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांक: 90A/JDA/2026-27/101015 **लोक सूचना** दिनांक: 08.09.2026
श्रीJAI INFRATECH PRIVATE LIMITED AND CITY HOME AFFORDABLE LLP THROU DIRECTOR ABHIMANYU SINGH पुत्र श्रीARJUN SINGH जाति RAJPUT निवासी HOTEL RESIDENCY PALACE HIGH COURT COLONY RATANADA JODHPUR RAJASTHAN 342001 ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	क्षेत्रफल (हैक्ट.)
1	रेनवाल, माधोराजपुरा (जयपुर)	JAI INFRATECH PRIVATE LIMITED पंजीकृत कार्यालय होटल रजिडेन्सी पैलेस हाई कोर्ट कालोनी रातानाडा जोधपुर राजस्थान खातेदार	4095/3636	0.0566	0.0566
2			3632/2075	0.3794	0.3794
3			3500/2075	0.1265	0.1265
4			3643/2075	0.3035	0.3035
5			4096/3636	0.1331	0.1331
6			3635/2075	0.2276	0.2276
7			4093/3631	0.024	0.024
8			4094/3631	0.1657	0.1657
9			3629/2075	0.3035	0.3035
10			3639/2075	0.5058	0.5058
11			4092/3630	0.454	0.454
12			4091/3630	0.0518	0.0518
13			3638/2075	0.5058	0.5058
14	रेनवाल, माधोराजपुरा (जयपुर)	CITY HOME AFFORDABLE LLP पंजीकृत कार्यालय: 307 होटल रजिडेन्सी, पैलेस हाईकोर्ट कॉलोनी रातानाडा जोधपुर राजस्थान	3634/2075	0.1897	0.1897
15			2079/1	0.2023	0.2023
16			2079/2	0.215	0.215
17			2091/5	0.1138	0.1138
18			2090/2	0.1138	0.1138
19			2078/1	0.2908	0.2908
				कुल	4.3627

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी SSO ID से लॉग इन कर JDA के 90-A मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (https://jda.rajasthan.gov.in/) पर ष्विरूद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करोष्Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरूद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 08.09.2026 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी जोन-22, जविप्रा, जयपुर**